न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–88/2018

1. कल्याण सहाय पुत्र स्वर्गीय श्री नोपाराम, जाति मीना, निवासी ग्राम टीलावाल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 17.04.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के आदेश दिनांक 06.02.2018 (प्रकरण संख्या 136/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील तहसीलदार सांगानेर के आदेश दिनांक 12.07.2017 जिसमें नामान्तरकरण संख्या 360 ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 252 रकबा 0.12 हैक्टयर जिला कलक्टर जयपुर को मार्गदर्शन हेतु आदेशित किये जाने से असंन्तुष्ट होकर दिनांक 20.07.2017 को अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें निवेदन किया कि अपीलार्थी की वाके ग्राम सवाई गैटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 222 हाल खसरा नम्बर 252 रकबा 0.12 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी के पक्ष में मूल खातेदार द्वारा एक वसीयत दिनांक 04.07.1971 को की गई उक्त वसीयत के आधार पर अपीलार्थी ने न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या–19, जयपुर महानगर मुख्यालय सांगानेर के समक्ष वसीयत के आधार पर एक वाद एवं स्थाइयी निषेधाज्ञा प्रस्तुत की गयी, उक्त वाद में अपीलार्थी के पक्ष मे फैसला दिनांक 27.03.2014 को हुआ जिसमें अपीलाधीन सम्पत्ति का मालिक व स्वामी अपीलार्थी को घोषित किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपीलार्थी की अपील उनवानी कल्याण सहाय बनाम सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी व अन्य में दिनांक 27.01.2014 को निर्णय पारित अपीलाधीन कृषि आराजीयात को मंदिर माफी अंकन के आदेश दिनांक 26.06.1984 को निरस्त कर, अपीलार्थी के नाम वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया गया, तत्पश्चात् न्यायालय श्रीमान् के उक्त आदेश दिनांक 27.01.2014 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एक अपील दायर की गई जिसमें राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 26.05.2017 के द्वारा न्यायालय श्रीमान् के आदेश दिनांक 27.01.2014 की पुष्टि की गई, अपीलार्थी को उक्त

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

आराजी का मालिक व स्वामी मानते हुए बतौर काश्तकार के रूप मे तहसीलदार सांगानेर को राजस्व रिकार्ड में इन्द्रजात करने बाबत निर्देशित किया गया।

उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतियों सहित अपने हक में खातेदारी दर्ज करवाने बाबत रेस्पोडेन्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसके क्रम में पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र द्वारा उपरोक्त निर्णयों के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 360 भरकर रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश किया जिसमें रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 12.07.2017 को पटवारी हल्का को जिला कलक्टर जयपुर के मार्गदर्शन हेतु रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर बिना मनन किये एवं बिना गुणावगुण के पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों को बगैर कानूनन मनन किये की ही उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2016 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अधीन हाल रेस्पोडेन्ट कार्यरत है तथा उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा जिला कलक्टर जयपुर का मार्गदर्शन पूर्व में भी प्राप्त किया जा चुका है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम के पत्रांक 286 दिनांक 21.01.2016 के अनुसार उपरोक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर अपीलार्थी का खातेदारी में नाम दर्ज करने बाबत निर्देशित किया जा चुका है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अपने द्वारा पूर्व में दिये गये मार्गदर्शन आदेश की पालना हाल रेस्पोडेन्ट द्वारा नही की जाकर पुनः वही नोट नामान्तरकरण की पुष्त पर डाल दिया इस प्रकार अपीलार्थी के साथ न्यायिक एवं प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर उपरोक्त न्यायालय के निर्णय की पालना नही की जा रही है तथा अपीलार्थी की अपील को बिना किसी ठोस आधार के अस्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने उपरोक्त न्यायालय के निर्णय के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 360 को भरे जाने के तथ्य स्वयं ने स्वीकार किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को किसी भी प्रकार से आदेशित नही किया जबकि रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय के मातहत व क्षेत्राधिकार में कार्यरत है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों का प्रयोग नही कर भारी कानूनी भूल की है तथा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.02.2018 व तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 360 पर अंकित नोट दिनांक 12.07.2017 को निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्र प्रथम जयपुर को निर्देशित किया जावें कि न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या–19 महानगर जयपुर के निर्णय दिनांक 27.03.2014 व राजस्व मण्डल

P.T.O.

सांगानेर आयुक्त
जयपुर

राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 26.05.2017 एवं न्यायालय श्रीमान् के निर्णय दिनांक 27.01.2014 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 360 को रेस्पोडेन्ट से स्वीकृत करवाये जाने बाबत आदेशित किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 1/2014 प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 27.01.2014 से तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या–19 महानगर, जयपुर के समक्ष दायर वाद संख्या 62/2014 बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2014 से अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी का मालिक व स्वामी घोषित किया गया है एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष दायर अपील संख्या 1813/2014/जयपुर के निर्णय दिनांक 26.05.2017 से अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज करते हुए न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.01.2014 की पुष्टि की गई है जिसकी पालना में पटवारी हल्का दुर्गापुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 360 भरकर दिनांक 13.06.2017 को गिरदावर को जांच हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा गिरदावर हल्का द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.06.2017 से मुताबिक रिपोर्ट पटवारी, न्यायालय आदेश एवं राजस्व रिकार्ड का मिलान किया एवं अंकन सही होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में यदि किसी सक्षम न्यायालय का किसी प्रकार का स्थगन आदेश या रोक नही है तो तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिये था लेकिन तहसीलदार सांगानेर द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार न कर नामान्तरकरण पर आदेश दिनांक 12.07.2017 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत न्यायालय के निर्णय की पालना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 286 दिनांक 21.01.2016 के संलग्न अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सांगानेर विधिवत कार्यवाही कर निर्णय की पालना सुनिश्चित कराने बाबत लिखा गया है तथा तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा अपने ही पत्रांक 286 दिनांक 21.01.2016 द्वारा तहसीलदार सांगानेर को विधिवत कार्यवाही कर निर्णय की पालना सुनिश्चित करने के आदेश देने के पश्चात् भी नामान्तरकरण की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कार्यवाही करवाने के बजाय अपीलार्थी की अपील को सारहीन होना मानते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2018 द्वारा खारिज किया गया है, जिसे कानूनी दृष्टि से उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2018 को एवं नामान्तरकरण संख्या 360 पर तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के नामान्तरकरण की कार्यवाही पर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन प्रभावी नही हो तो अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के पत्रांक 286 दिनांक 21.01.2016 एवं न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.01.2014, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या–19, जयपुर महानगर, जयपुर के निर्णय दिनांक 27.03.2014 एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 26.05.2017 की पालना में वादग्रस्त आराजी के नामान्तरकरण की विधि सम्मत कार्यवाही तहसीलदार सांगानेर से करवाई जावें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर